न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविंद सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 03/2025
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : 27.01.2025

निर्णय दिनांक : 10.05.2025

अनवान

जसराज पिता नंदा जाति गाडरी (पूर्णिया) निवासी देवली तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द

.....**प्रार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारगढ जिला राजसमन्द (राज.)

.....**विपक्षी**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थी की ओर से :– **अधिवक्ता पन्नालाल पूर्बिया, सुरेश सिंह रावत**
विपक्षी की ओर से :– **सरकार**

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम देवली पटवार हल्का गलवा तहसील क्षेत्र सरदारगढ के खाता संख्या नया 173 पुराना 93 के आराजी नम्बर 351 कुल किता 01 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 117 पुराना 122 के आराजी नम्बर 40, 41 कुल किता 02 रकबा 0.8500 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 108 पुराना 112 के आराजी नम्बर 27, 350, 352, 354, 355, 362, 363, 364, 365, 512, 567, 568, 570, 752/587 कुल किता 14 रकबा 5.2600 हैक्टेयर, राजस्व ग्राम गलवा पटवार हल्का गलवा तहसील क्षेत्र सरदारगढ के खाता संख्या नया 222 पुराना 213 के आराजी नम्बर 1546/255, 1549/257, 237, 253, 254, 260, 425, 426, 427, 437, 438, 439, 440 कुल किता 13 रकबा 13.1800 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 221 पुराना 214 के आराजी नम्बर 252 कुल किता 01 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता नन्दा के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी, जो भूमि नन्दा जी की मृत्यू की पश्चात् विरासत से नामान्तरकरण के जरिये नन्दा जी के विधिक वारिसान् के नाम पर विरासत के आधार पर दर्ज हुई, जिसमें प्रार्थी का नाम सही रूप से अंकित नहीं कर पटवारी हल्का गलवा द्वारा प्रार्थी का बोलता हुआ नाम जयसिंह दर्ज कर लिया गयां है तथा इसी आधार पर ग्राम पंचायत ने भी उक्त नामान्तरकरण प्रार्थी के गलत नाम जयसिंह का पटवारी रिपोर्ट के

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

आधार पर निर्णित कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही एवं रेकार्डेड नाम जयसिंह नहीं होकर जसराज पूर्बिया ही है तथा इसी नाम से प्रार्थी के सभी दस्तावेज बने हुऐ होकर वर्तमान् में इसी नाम जसराज पूर्बिया के नाम से ही गांव में जाना व पहचाना जाता है। तथा दस्तावेजो में भी यही नाम अंकित है जिससे पटवारी हल्का द्वारा जो नामान्तरकरण में प्रार्थी का गलत नाम जयसिंह जी के विरासत के रूप में जयसिंह प्रार्थी के अन्य भाईयों के साथ अंकित कर दिया गया है, जो नाम आज भी बदस्तुर चला आ रहा है जबकि जयसिंह नाम से प्रार्थी के कोई रेकार्डेड दस्तावेज मोजुद नहीं होकर वर्तमान् में जयसिंह नाम का अन्य कोई व्यक्ति नन्दा जी का विधिक वारिसान् मोजुद नहीं है। जिससे प्रार्थी उक्त भूमियों में अंकित नाम जयसिंह पिता नन्दा की जगह जसराज पूर्बिया पिता नन्दा का सहीं नाम दर्ज करवाना चाहता है एवं उक्त लिपिकीय त्रुटि जो पटवारी हल्का ने उक्त नामान्तरकरण भरते समय की गई थी उसे दुरूस्त कराकर उसकी जगह उपरोक्त अनुसार सही नाम अंकित करवाना चाहता है। प्रार्थी को उपरोक्त राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज होने की पूर्व में कोई जानकारी नही थी। अभी कुछ समय पूर्व आज से 15 दिन पहले प्रार्थी को जब उक्त भूमि पर ऋण की आवश्यकता हुई तब प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड प्राप्त किया तब ही उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी प्राप्त हुई एवं तभी प्रार्थी ने अन्य दस्तावेज प्राप्त कर विधि अनुसार अविलम्ब उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् लिपिकीय भुल को दुरूस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि भविष्य में अन्य कोई परेशानियां प्रार्थी को उत्पन्न नहीं होंवे, जो दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी के हक अधिकार की उक्त भूमियों के संबंध में भविष्य में प्रार्थी को एवं प्रार्थी के विधिक वारिसान् को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा एवं कई प्रकार के मुकदमे बढ़ने की सम्भावना है। जिससे उक्त आशय का दुरुस्ती का अंकन कराया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त संबंध में प्रार्थी ने श्रीमान् तहसीलदार महोदय सरदारगढ़ को उक्त आशय का शुद्धिपत्र जारी कराने बाबत् निवेदन किया गया तो उनके द्वारा इन्कार कर देने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थी को ही गांव में जयसिंह एवं जसराज पूर्बिया दोनो ही नाम से जाना जाता है। किन्तु रेकार्ड में नाम आरम्भ से ही जयसिंह ही दर्ज होने से उक्त आशय का दुरूस्ती का अंकन प्रार्थी उपरोक्त अंकित राजस्व रेकार्ड में करवाना चाहता है। इस हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके साथ ही प्रार्थी का वोटर आईडी, राशनकार्ड एवं आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड की प्रति भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। जिससे भी वास्तविकता श्रीमान् के समक्ष उजागर है।

अतः प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजीयात खातेदार जयसिंह पुत्र नन्दा का नाम दुरूस्त करते हुऐ सही नाम जसराज पूर्बिया पुत्र नन्दा अंकन फरमाया जावें। तद्नुसार सही अंकन दर्ज करने बाबत् तहसीलदार महोदय सरदारगढ़ को आदेशित किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार सरदारगढ द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में जयसिंह पुत्र नन्दा दर्ज है। प्रार्थी के पिता नन्दा गाडरी के फौत होने पर उनका नामांतरण

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

भंवर लाल, हजारी, छगनलाल, जयसिंह पिता नन्दा के नाम खोला गया जिसमें प्रार्थी का नाम जयसिंह दर्ज हो गया जबकि ग्रामवासियान व प्रस्तुत पहचान दस्तावेज अनुसार प्रार्थी का सही नाम जसराज गाडरी है। प्रार्थी की उसके पहचान दस्तावेज से तथा मौतबिरान से की गई जिसमें जाहिर आया कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जसराज है। अतः ग्राम देवली की जमाबन्दी के खाता संख्या 108 किता 14 रकबा 5.2600 हैक्टेयर में जयसिंह पुत्र नन्दा 1/16 के बजाय जसराज पुत्र नन्दा 1/16, खाता संख्या 117 किता 2 रकबा 0.8500 हैक्टेयर में जयसिंह पुत्र नन्दा 1/32 के बजाय जसराज पुत्र नन्दा 1/32. खाता संख्या 173 किता 1 रकबा 0.0400 हैक्टेयर में जयसिंह पुत्र नन्दा 1/12 के बजाय जसराज पुत्र नन्दा 1/12 किया जाना उचित है तथा ग्राम गलवा प.मं. गलवा के खाता संख्या 221 किता 1 रकबा 0.0400 हैक्टेयर में जयसिंह पुत्र नन्दा 1/48 के बजाय जसराज पुत्र नन्दा 1/48, खाता संख्या 222 किता 13 रकबा 13.1800 हैक्टेयर में जयसिंह पुत्र नन्दा 1/16 के बजाय जसराज पुत्र नन्दा 1/16 किया जाना उचित है।

दौरान कार्यवाही पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह ताईद हैं कि नामान्तरण संख्या 521 स्वीकृत किया जिसमे प्रार्थी के पिता नन्दा गाडरी के फौत होने पर उनका नामांतरण भंवर लाल, हजारी, छगनलाल, जयसिंह पिता नन्दा के नाम खोला गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज में भी जसराज पूर्बिया अंकन होना जाहिर आया हैं। प्रार्थी का नाम जयसिंह पुत्र नन्दा के स्थान पर जसराज पूर्बिया पुत्र नन्दा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य साबित हैं।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता हैं एवं राजस्व ग्राम देवली पटवार हल्का गलवा तहसील क्षेत्र सरदारगढ के खाता संख्या नया 173 पुराना 93 के आराजी नम्बर 351 कुल किता 01 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 117 पुराना 122 के आराजी नम्बर 40, 41 कुल किता 02 रकबा 0.8500 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 108 पुराना 112 के आराजी नम्बर 27, 350, 352, 354, 355, 362, 363, 364, 365, 512, 567, 568, 570, 752/587 कुल किता 14 रकबा 5.2600 हैक्टेयर, राजस्व ग्राम गलवा पटवार हल्का गलवा तहसील क्षेत्र सरदारगढ के खाता संख्या नया 222 पुराना 213 के आराजी नम्बर 1546/255, 1549/257, 237, 253, 254, 260, 425, 426, 427, 437, 438, 439, 440 कुल किता 13 रकबा 13.1800 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 221 पुराना 214 के आराजी नम्बर 252 कुल किता 01 रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि में जयसिंह पुत्र नन्दा को विलोपित करते

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

हुए के स्थान पर जसराज पूर्बिया पुत्र नन्दा राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविंद सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 खुले न्यायालय पर आदेश सुनाया गया।

(गोविंद सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)